

बिहार सरकार,

कृषि विभाग

पत्र सं० - जै०प्र००को० (योजना)-13/2019

5398

/क०. पटना दिनांक 06-11-2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय-

राज्य स्कीम के अधीन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन एवं जैविक कोरिडोर के 12 (बारह) जिलों में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए कुल 15588.58 लाख (एक सौ पचपन करोड़ अठासी लाख अन्दावन हजार) रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 4807.26 लाख (अड़तालिस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार) रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

राज्य स्कीम के अधीन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन एवं जैविक कोरिडोर में 12 (बारह) जिलों में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए कुल 15588.58 लाख (एक सौ पचपन करोड़ अठासी लाख अन्दावन हजार) रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 4807.26 लाख (अड़तालिस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार) रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक जैविक कोरिडोर के कुल 12 (बारह) जिलों यथा- पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर एवं मुंगेर में जैविक कोरिडोर विकसित कर जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम एवं उनमें होने वाले व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

| जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना |                                                                                                                                                                                    |              |                |              |                |              |                |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| क्र०                                       | कार्यक्रम का नाम                                                                                                                                                                   | 2019-20      |                | 2020-21      |                | 2021-22      |                | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|                                            |                                                                                                                                                                                    | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |                    |
| 1                                          | जैविक खेती का अंगीकरण                                                                                                                                                              |              |                |              |                |              |                |                    |
|                                            | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट (@ 11500 रु० प्रति एकड़ (एकड़ में))                                                                                                        | 20000        | 2300.000       | 20000        | 2300.000       | 20000        | 2300.000       | 6900.000           |
|                                            | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा किसानों/ICS manager का प्रशिक्षण, मिटटी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबन्धन, Documentation/ Packaging/ Transportation आदि (एकड़ में) | 20000        | 986.000        | 20000        | 1754.800       | 20000        | 1744.000       | 4484.800           |
|                                            | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला (3 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष @ 25.00 लाख रु०) (संख्या में)                                                                                     | 3            | 75.00          | 3            | 75.00          | 3            | 75.00          | 225.000            |

|   |                                                                                                                                       |                                                   |           |        |           |        |           |            |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|---------|
|   | राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति कलस्टर 05 किसान सात दिनों के लिए<br>@1000 रु0 प्रति किसान (संख्या में)             | 4000                                              | 280.0000  | 0      | 0.00      | 0      | 0.00      | 280.00     |         |
|   | राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख रु0 प्रति किसान (संख्या में)                                                    | 50                                                | 250.0000  | 50     | 250.0000  | 50     | 250.0000  | 750.000    |         |
|   | राज्य से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @35000 रु0 प्रति पदाधिकारी सात दिनों के लिए (संख्या में)                            | 10                                                | 3.50      | 10     | 3.50      | 10     | 3.50      | 10.500     |         |
|   | राष्ट्र से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख रु0 प्रति पदाधिकारी (संख्या में)                                           | 5                                                 | 25.00     | 5      | 25.00     | 5      | 25.00     | 75.000     |         |
|   | कुल                                                                                                                                   |                                                   | 3919.5    |        | 4408.3    |        | 4397.5    | 12725.3    |         |
| 2 | जैविक खेती का प्रमाणीकरण<br>*(प्रमाणीकरण का कार्य द्वितीय वर्ष से किया जायेगा इसलिए प्रथम वर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है) | 20000                                             | 0.00 *    | 20000  | 100.00    | 20000  | 100.00    | 200.00     |         |
|   | कुल                                                                                                                                   |                                                   | 0.00      |        | 100.00    |        | 100.00    | 200.00     |         |
| 3 | जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन एवं प्रबंधन कार्य                                                                                          |                                                   |           |        |           |        |           |            |         |
|   | जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन (2 मेला प्रतिवर्ष@25.00 लाख रु0) एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु                               | 2                                                 | 50.00     | 2      | 50.00     | 2      | 50.00     | 150.000    |         |
|   | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन                                                                              | 1                                                 | 100.00    | 1      | 100.00    | 1      | 100.00    | 300.000    |         |
|   | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक)                                                     | 12                                                | 221.76    | 12     | 221.76    | 12     | 221.76    | 665.280    |         |
|   | राज्य स्तर पर ई-कॉमर्स के साथ वेबसाईट निर्माण/Startup support//innovation के लिए राशि                                                 | 0                                                 | 400.00    | 0      | 400.00    | 0      | 400.00    | 1200.000   |         |
|   | परियोजना प्रबंधन एवं आकस्मिकता (प्रकाशन, प्रचार-प्रसार, पर्यवेक्षण आदि) (परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत)                                | जिला कृषि पदाधिकारी को आकस्मिकता/ 2000 रु0/कलस्टर | 800       | 16.00  | 800       | 16.00  | 800       | 16.00      | 48.000  |
|   |                                                                                                                                       | राज्य स्तर पर आकस्मिकता                           | 0         | 100.00 | 0         | 100.00 | 0         | 100.00     | 300.000 |
|   | कुल                                                                                                                                   |                                                   | 887.76    |        | 887.76    |        | 887.76    | 2663.28    |         |
|   | कुल योग (1+2+3)                                                                                                                       |                                                   | 4807.2600 |        | 5396.0600 |        | 5385.2600 | 15588.5800 |         |

3. योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची-01 से 07 तथा विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4. इस योजनान्तर्गत चयनित जिलों के चयनित समूह/कलस्टर में प्रथम वर्ष में सब्जी की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना की सफलता को देखते हुए भविष्य में सब्जी के अलावे अन्य फसलों को भी आच्छादित किया जा सकेगा।

5. किसानों/उत्पादकों का समूह बनाकर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक खेती के लिए निर्धारित पैकेज पर सहायता देकर अंगीकरण कराकर प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। जैविक खेती के अंगीकरण का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) के लिए किया जायेगा, जिसके लिए तीन वर्षों की योजना कड़िका-02 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिन कृषकों के जिन प्लॉटों/क्षेत्रों पर अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा उन्हीं किसानों के उन्हीं प्लॉटों/क्षेत्रों में अगले 02 वर्षों में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, क्योंकि किसी भी खेती/प्लॉट को पूर्णतः जैविक होने में सामान्यतः तीन वर्ष लग जाता है, इसलिए प्रथम वर्ष के लिए C-1, द्वितीय वर्ष के लिए C-2 एवं तृतीय वर्ष के लिए C-3 (पूर्णतः जैविक) होने का प्रमाण पत्र

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

किसानों/किसान समूहों को दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 में C-1 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले किसानों को ही द्वितीय वर्ष की राशि 11500 रु0 प्रति एकड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में C-2 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले किसानों को तीसरे वर्ष के लिए 11500 रु0 प्रति एकड़ अनुदान दिया जायेगा।

7. प्रमाणीकरण संबंधी सभी कार्य निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना (BSSOCA) द्वारा किया जायेगा। प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है कि समूह कम्पनी एक्ट/सोसायटी एक्ट/सहकारिता के अन्तर्गत निबंधन कराये एवं निबंधन के उपरान्त बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी में निबंधन के लिए आवेदन करेंगे। जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी एक्ट/सोसायटी एक्ट/सहकारिता से निबंधित समूह के कृषकों को ही अनुदान का लाभ देय होगा। ईच्छुक FPO (Farmer Producer Organisation) जीविका एवं नाबार्ड के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य समूहों को भी कलस्टर निर्माण में शामिल किया जायेगा। जब तक बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना (BSSOCA) एपीडा से जैविक प्रमाणन हेतु अधिकृत नहीं हो जाता है तब तक बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना (BSSOCA) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सिविकम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (SSOCA) के सहयोग से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणीकरण का कार्य बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना (BSSOCA) के अलावा अन्य प्रमाणीकरण एजेंसियों से भी कराया जा सकेगा।

8. बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना (BSSOCA) के स्तर पर प्रमाणीकरण के निबंधन हेतु प्राप्त किसानों/कृषक समूहों के आवेदन पत्र को बिहार स्टेट सीड्स एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समीक्षा/निरीक्षण किया जायेगा। इनके द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की भी जाँच की जायेगी। जैव निरीक्षकों द्वारा कृषक समूह/ICS (Internal Control System) द्वारा संधारित कागजातों की जाँच कर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। BSSOCA द्वारा नामित Quality Manager प्रमाणीकरण की over all गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार होंगे। समीक्षोपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन certification committee के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर प्रमाणीकरण के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। संबंधित कमिटी के निर्णय के पश्चात् ऑकड़ों को APEDA के tracenet (APEDA का Site) पर अपलोड करने का कार्य प्राधिकृत पदाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा।

9. किसान अपने इच्छानुसार सब्जी की जैविक खेती के लिए फसलों का चयन कर सकते हैं। उन्हें जैविक खेती हेतु प्रति वर्ष अनुदान 11,500 रु0 प्रति एकड़ के अनुसार देय होगा एवं एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जायेगा।

10. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक कलस्टर का न्यूनतम रकबा 25 एकड़ का होगा जिसमें न्यूनतम 25 किसान सम्मिलित होंगे। कलस्टर में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान द्वारा जैविक खेती स्वयं अपनी व्यवस्था से कराएंगे, परन्तु शेष रकबा का प्रमाणीकरण बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना द्वारा निःशुल्क किया जायेगा।

11. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी-

- (क) क्षेत्र समूह के सभी किसानों का खेत एक ही भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हो।
- (ख) जैविक खेती करने हेतु कृषक/उत्पादक समूह के साथ किसान एकरारनामा करने हेतु तैयार हों।

- (ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों तथा ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान के अनुसार जैविक खेती करने हेतु तैयार हों।
- (घ) संबंधित किसान मिट्टी, जल, भारी धातु, उत्पाद के गुणवत्ता की जाँच, कीटनाशियों के अवशेष प्रभाव, आदि की जाँच कराने हेतु तैयार हों।
- (ङ) जिलान्तर्गत लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कम-से-कम 17 प्रतिशत कृषक को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा 33 प्रतिशत महिलाओं, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाय।
- (च) प्रत्यक्ष आयोजन हेतु चयनित कृषक/कृषक समूह द्वारा भूमि, श्रम, जुताई, सिंचाई, फसल की कटनी, दौनी एवं अन्य संसाधन स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
- (छ) कृषक आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के लिए निर्धारित मानकों को पालन करने हेतु तैयार हों।
- (ज) कृषक/उत्पादक समूह के किसान अपने उत्पादन का प्रमाणीकरण कराने हेतु तैयार हों।
12. Organic System Plan बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना द्वारा तैयार कर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को ही अनुदान दिया जायेगा। अंगीकरण हेतु किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से अनुसूची 02 के अनुसार जैविक उत्पादन क्रय हेतु अनुदान दिया जायेगा। प्रति वर्ष चयनित कलस्टर के सभी किसानों को जैविक खेती हेतु 11,500 रु०/एकड़ सहायता प्रदान की जायेगी।
14. योजनान्तर्गत जैविक खेती करने वाले समूह/किसान द्वारा यदि जैविक खेती का कार्य योजना अवधि के बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो उन किसानों/उनके परिजनों/समूह को कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर 02 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन किसानों/समूह को कृषि विभाग के अन्य योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित कर दिया जायेगा।
15. इस योजना के तहत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु कलस्टर का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना पी०के०भी०वाई० (परम्परागत कृषि विकास योजना) एवं नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत संचालित कलस्टर के गाँवों को छोड़कर की जायेगी।
16. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु व्यापक प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशन संबंधी कार्य निदेशक, बामेती द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला/जैविक मेला/विपणन मीट का आयोजन निदेशक, बामेती द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु राशि निदेशक, बामेती के माँग पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।
17. राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर योजना अनुश्रवण हेतु बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत Programme Monitoring Unit (PMU) का गठन किया जायेगा तथा राज्य एवं राष्ट्र से बाहर पदाधिकारियों/किसानों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्य की जायेंगी।
18. योजनान्तर्गत अच्छे कार्य करने वाले कृषक समूहों एवं ICS प्रबंधक को वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर सम्मानित किया जायेगा।
19. राज्य स्तर पर कृषि निदेशक इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प), जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा इस योजना का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा। विभाग द्वारा अलग से कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम अधिकार से अनुमोदित कराकर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा तथा वे जिला स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राज्य स्तर पर कर्णांकित राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (BSSOCA) एवं बिहार राज्य बीज निगम से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा एवं निकासी की गई राशि

को बिहार राज्य बीज निगम को पी0एल0 खाता PBBPLA013 में तथा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (BSSOCA) को उनके पी0एल0 खाता PBBPLA019 में उपलब्ध कराया जायेगा।

21. राज्य स्तर पर ई-कॉमर्स के साथ वेबसाइट निर्माण/Startup support/innovation संबंधित कार्य जैविक मिशन द्वारा किया जायेगा।
22. योजनान्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के लाभुकों को कृषि विभाग के द्वारा संचालित पोर्टल ([dbtagriculture.bihar.gov.in](http://dbtagriculture.bihar.gov.in)) पर अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम में चयनित एवं निबंधित कृषक समूहों के किसानों को भुगतान सभी अनुदान उनके खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। किसानों के सभी प्रकार के भुगतान आधार कार्ड लिंक बैंक एकाउन्ट में ही किया जायेगा।
23. व्यय के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
24. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
25. वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट-शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

| बजट शीर्ष                                                                                                                                                                                                             | उपबंधित राशि    | स्वीकृत राशि   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, मांग सं0-01, उप शीर्ष -0106-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401001050106 विषय शीर्ष 0106.33.01 सब्सिडी                          | 9820.83         | 3990.0258      |
| मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं0-01, उप शीर्ष -0126-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401007890126 विषय शीर्ष 0126.33.01 सब्सिडी | 1893.17         | 769.1616       |
| मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना मांग सं0-01, उप शीर्ष-0148-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401007960148 विषय शीर्ष 0148.33.01 सब्सिडी                  | 118.33          | 48.0726        |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>11832.33</b> | <b>4807.26</b> |

26. वित्त विभाग संकल्प सं0 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 24.10.2019 को सचिका सं0-जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 के पृ0 सं0-38/टि0 पर प्राप्त है।
27. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
28. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त सहमति सचिका संख्या-जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 के पृ0-43/टि0 पर दिनांक-31.10.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं0-194, दिनांक 30.10.2019 है। उक्त सशर्त सहमति के बिन्दू पर सचिका सं0-जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 के पृ0सं0-45/टि0 पर दिनांक-04.11.2019 को सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

*[Signature]*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*[Signature]*

5-11-19

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 5398 /कृ0, पटना दिनांक 06-11-2019

प्रतिलिपि:- प्रमारी पदाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Robing de*  
5-11-19  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 5398 /कृ0, पटना दिनांक 06-11-2019

प्रतिलिपि:- नत्रिमण्डल सचिवालय विनाग बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Robing de*  
5-11-19  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 5398 /कृ0, पटना दिनांक 06-11-2019

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Robing de*  
5-11-19  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 5398 /कृ0, पटना दिनांक 06-11-2019

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Robing de*  
5-11-19  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - जै0प्र0को0 (योजना)-13/2019 5398 /कृ0, पटना दिनांक 06-11-2019

प्रतिलिपि:- माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बसोका, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0/राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी, परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे स्वच्छता अभियान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

*Rob*

*Robing de*  
5-11-19  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

**जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक राज्य योजना के अधीन कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

| क्र० | कार्यक्रम का नाम                                                                                                                                                       | इकाई                                              | 2019-20              |                             | 2020-21      |                             | 2021-22      |                             | कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                        |                                                   | भौतिक लक्ष्य         | वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में) | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में) |                                 |
| 1    | जैविक खेती का अंगीकरण                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                             |              |                             |              |                             |                                 |
|      | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट @ 11500 ₹0 प्रति एकड़                                                                                                          | भौतिक (एकड़ में)                                  | 20000                | 2300.000                    | 20000        | 2300.000                    | 20000        | 2300.000                    | 6900.000                        |
|      | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा-किसानों/ICS manager का प्रशिक्षण, मिट्टी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबन्धन, Documentation/Packaging/Transportation आदि | भौतिक (एकड़ में)                                  | 20000                | 986.000                     | 20000        | 1754.800                    | 20000        | 1744.000                    | 4484.800                        |
|      | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला (3 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष@25.00 लाख ₹0)                                                                                         | भौतिक (संख्या में)                                | 3                    | 75.00                       | 3            | 75.00                       | 3            | 75.00                       | 225.000                         |
|      | राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति कलस्टर 05 किसान सात दिनों के लिए @1000 ₹0/किसान प्रति दिन                                                           | भौतिक (संख्या में)                                | 4000                 | 280.00                      | 0            | 0.00                        | 0            | 0.00                        | 280.000                         |
|      | राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख ₹0 प्रति किसान                                                                                                   | भौतिक (संख्या में)                                | 50                   | 250.0000                    | 50           | 250.0000                    | 50           | 250.0000                    | 750.000                         |
|      | राज्य से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @35000 ₹0 प्रति पदाधिकारी सात दिनों के लिए                                                                           | भौतिक (संख्या में)                                | 10                   | 3.50                        | 10           | 3.50                        | 10           | 3.50                        | 10.500                          |
|      | राष्ट्र से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख ₹0 प्रति पदाधिकारी (सं० में)                                                                                | भौतिक (संख्या में)                                | 5                    | 25.00                       | 5            | 25.00                       | 5            | 25.00                       | 75.000                          |
|      | कुल                                                                                                                                                                    |                                                   |                      | 3919.50                     |              | 4408.30                     |              | 4397.50                     | 12725.30                        |
| 2    | जैविक खेती हेतु प्रमाणीकरण<br>(प्रमाणीकरण का कार्य द्वितीय वर्ष से किया जायेगा इसलिए प्रथम वर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।)                                | भौतिक (एकड़ में)                                  | 20000                | 0.00                        | 20000.00     | 100.00                      | 20000.00     | 100.00                      | 200.000                         |
|      | कुल                                                                                                                                                                    |                                                   |                      | 0.00                        |              | 100.00                      |              | 100.00                      | 200.00                          |
| 3    | जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन एवं प्रबंधन कार्य                                                                                                                           |                                                   |                      |                             |              |                             |              |                             |                                 |
|      | जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन (2 मेला प्रतिवर्ष/25.00 लाख ₹0) एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु                                                                 | भौतिक (संख्या में)                                | 2                    | 50                          | 2            | 50                          | 2            | 50                          | 150.00                          |
|      | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन                                                                                                               | भौतिक (संख्या में)                                | 1                    | 100                         | 1            | 100                         | 1            | 100                         | 300.00                          |
|      | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक)                                                                                      | भौतिक (संख्या में)                                | 12                   | 221.76                      | 12           | 221.76                      | 12           | 221.76                      | 665.28                          |
|      | राज्य स्तर पर ई-कॉमर्स के साथ वेबसाईट निर्माण/Startup support/innovation के लिए राशि                                                                                   | वित्तीय (लाख में)                                 | 0                    | 400.00                      | 0            | 400.00                      | 0            | 400.00                      | 1200.000                        |
|      | परियोजना प्रबंधन एवं आकस्मिकता (प्रकाशन, प्रचार-प्रसार, पर्यवेक्षण आदि)                                                                                                | जिला कृषि पदाधिकारी को आकस्मिकता @ 2000 ₹0/कलस्टर | 800                  | 16.00                       | 800          | 16.00                       | 800          | 16.00                       | 48.000                          |
|      | (परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत)                                                                                                                                         | राज्य स्तर पर आकस्मिकता                           | 0                    | 100.00                      | 0            | 100.00                      | 0            | 100.00                      | 300.000                         |
|      | कुल                                                                                                                                                                    |                                                   |                      | 887.76                      |              | 887.76                      |              | 887.76                      | 2663.28                         |
|      | कुल योग (1+2+3)                                                                                                                                                        |                                                   | वित्तीय (लाख ₹. में) |                             | 4807.2600    | 5396.0600                   |              | 5385.2600                   | 15588.5800                      |

अनुसूची-02

जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक के लिए प्रति एकड़ इनपुट हेतु देय अनुदान की विवरणी।

| क्र० | इनपुट के अवयव                                                                                                                               | प्रति एकड़ दर |              |            | अन्यवित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लक्ष्य |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                                                                                             | प्रथम वर्ष    | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 1    | जैविक बीज कय या जैविक नर्सरी तैयार करने हेतु<br>(प्रति एकड़)                                                                                | 500           | 500          | 500        | वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उपयुक्त मिट्टी पर आधारित जैविक फसल प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक किसान सदस्य को जैविक बीज उत्पादन तथा कृषि क्षेत्र में रोपन सामग्री तैयार करने हेतु भूमि की तैयारी, पौधा संरक्षण, श्रम शुल्क एवं जैविक बीज एवं रोपन सामग्री समेत आवश्यक अन्य सामग्री हेतु राशि उपलब्ध करायी जायेगी। | किसान  |
| 2    | परंपरागत जैविक उत्पादन उत्पादन जैसे -<br>पंचगव्य/बीजामृत/जीवामृत इत्यादि की इकाई तैयार करने हेतु<br>(प्रति एकड़)                            | 1000          | 1000         | 1000       | प्रत्येक किसान सदस्य को जैविक उत्पादन तैयार करने हेतु इकाई निर्माण तथा इसके संचालन हेतु आवश्यक सामग्री (प्लास, प्लास्टिक बोतल, ड्रम, फिल्टर, स्प्रयर एवं अन्य सामग्री) क्रय करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।                                                                                               | किसान  |
| 3    | जैव नेत्रजन उत्पादन हेतु पौधे लगाना, जैसे सिसबेनिया,<br>ग्लिसिरिडिया इत्यादि<br>(प्रति एकड़)                                                | 1000          | 1000         | 1000       | नेत्रजन उत्पादक पौधे लगाने के लिए प्रत्येक किसान सदस्य को बीजो/रोपन सामग्री की क्रय, भूमि/पीट की तैयारी एवं मजदूरी आदि के लिए राशि उपलब्ध करायी जायेगी।                                                                                                                                                      | किसान  |
| 4    | बोटैनिकल एक्स्ट्रेक्ट उत्पादन इकाई (नीम उत्पाद)<br>(प्रति एकड़)                                                                             | 1000          | 1000         | 1000       | प्रत्येक किसान सदस्य को वनस्पतिक एक्स्ट्रेक्ट उत्पादन इकाई तैयार करने एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सामग्री (प्लास, प्लास्टिक बोतल, ड्रम, फिल्टर, स्प्रयर एवं अन्य सामग्री) क्रय करने के लिए भी सहायता प्रदान की जायेगी।                                                                                       | किसान  |
| 5    | जैव उर्वरक / कॉम्पोस्टिंग (नेत्रजन फिसिंग, पी0एस0बी0,<br>के0एम0बी0)<br>(प्रति एकड़)                                                         | 1000          | 1000         | 1000       | प्रत्येक किसान सदस्य को तरल जैव उर्वरक क्रय करने एवं मिट्टी/बीज में उसके उपयोग करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी जिससे फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा।                                                                                                                                                       | किसान  |
| 6    | जैव कीटनाशी (Trichoderma viridae, Pseudomonas<br>fluorescens, Metarhizium, Beauveria bassiana,<br>acelomyces, verticillium)<br>(प्रति एकड़) | 700           | 700          | 700        | प्रत्येक किसान सदस्य को तरल जैव कीटनाशी क्रय करने एवं इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी जिससे फसल के पौधों में लगने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सके।                                                                                                                                                | किसान  |
| 7    | Phosphate Rich Organic Manure as per FCO<br>specification<br>(प्रति एकड़)                                                                   | 1000          | 1000         | 1000       | प्रत्येक किसान सदस्य को मिट्टी में फॉस्फोरस/जैव कार्बनिक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने हेतु Phosphate Rich Organic Manure के क्रय कर मिट्टी में इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।                                                                                                     | किसान  |
| 8    | स्थानीय तरीके से आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक कीट नियंत्रण<br>सामग्री कय हेतु (प्रति एकड़)                                                     | 300           | 300          | 300        | प्रत्येक किसान सदस्य को फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों पर नियंत्रण हेतु स्थानीय तरीके से आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक कीट नियंत्रक सामग्री कय हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।                                                                                                                                    | किसान  |
| 9    | वर्मी कंपोस्ट इकाई (Size - 7'x3'x1')<br>प्रति इकाई 5000 रु०<br>HDPE/BRICKS                                                                  | 5000          | 5000         | 5000       | प्रत्येक किसान सदस्य को मिट्टी में फॉस्फोरस/जैव कार्बनिक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने हेतु Phosphate Rich Organic Manure के क्रय कर मिट्टी में इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।                                                                                                     | किसान  |
|      | कुल योग                                                                                                                                     | 11500         | 11500        | 11500      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

dh

dh

### अनुसूची-03

जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 25 एकड़ (25 किसान) के कलस्टर के प्रोत्साहन हेतु देय अनुदान की विवरणी

राशि- ₹0 में

| क्र० सं०                                                       | कार्य मद                                                                                                | Pattern of Assistance |              |            |          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कार्यान्वयन एजेंसी                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                         | प्रथम वर्ष            | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल राशि |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| कलस्टर के माध्यम से NPOP प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती का अंगीकरण |                                                                                                         |                       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 1                                                              | NPOP प्रमाणीकरण हेतु किसानों को कलस्टर निर्माण हेतु संग्रहण करना                                        | -                     | -            | -          | -        | जैविक खेती के अंगीकरण हेतु कलस्टर निर्माण कर NPOP प्रमाणीकरण के लिए तीन साल तक सहायता प्रदान की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 1.1                                                            | जैविक खेती समूह के निर्माण हेतु किसानों के साप्ताहिक विमर्श के लिये बैठक का आयोजन @ 200 रु० प्रति किसान | 5000                  | 0            | 0          | 5000     | कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कलस्टर के निर्माण हेतु किसानों की भूमि को चिह्नित करेंगे तथा उसमें आने वाले सभी किसानों को चिह्नित कर बैठक आयोजित कर कलस्टर का निर्माण किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जि० कृ० पदा०                           |
| 1.2                                                            | जैविक खेती समूह का एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम @ 200 रु० प्रति किसान                                       | 5000                  | 0            | 0          | 5000     | कलस्टर निर्माण करने के उपरान्त प्रत्येक किसानों का Exposure visit की व्यवस्था कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जायेगी, जिससे किसानों के जैविक खेती के बारे में व्यवहारिक ज्ञान एवं जागरूकता विकसित किया जा सके।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 1.3                                                            | जैविक खेती हेतु समूह का तीन बार प्रशिक्षण कार्यक्रम - तीन प्रशिक्षण @ 400 रु० प्रति किसान               | 30000                 | 0            | 0          | 30000    | कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 06 (छः) महीने के अंदर 03 (तीन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण निम्न विषयों पर दी जायेगी-<br>1. प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम:-<br>क) नर्सरी में पौधा विकसित करना।<br>ख) जैविक बीज उत्पादन<br>2. द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:-<br>क) हरी खाद की खेती तथा मेड़ पर रोपण।<br>ख) कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं उपयोग<br>3. तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:-<br>क) पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत इत्यादि का उत्पादन एवं उपयोग<br>ख) जैव उर्वरक का उपयोग (बीज/पौधा के उपचार, बीजोपचार, ड्रिप सिंचाई, छिड़काव) तथा जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशी का उपयोग विधि | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| कुल योग                                                        |                                                                                                         | 40000                 | 0            | 0          | 40000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

1/2

2/2

जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 25 एकड़ (25 किसान) के क्लस्टर के प्रोत्साहन हेतु देय अनुदान की विवरणी

राशि- ₹0 में

| जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना                      |                                                                                                                                   |                       |              |            |          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कार्यान्वयन एजेंसी                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| क्र.सं.                                                         | कार्य भेद                                                                                                                         | Pattern of Assistance |              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                   | प्रथम वर्ष            | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल राशि |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| क्लस्टर के माध्यम से NPOP प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती का अंगीकरण |                                                                                                                                   |                       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| NPOP प्रमाणीकरण एवं गुण नियंत्रण                                |                                                                                                                                   |                       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 2                                                               |                                                                                                                                   |                       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 2.1                                                             | जैविक प्रमाणन हेतु ICS (Internal Control System) Manager को दो दिवस का प्रशिक्षण, 200 रु0 प्रति ICS Manager                       | 400                   | 0            | 0          | 400      | 20 ICS Manager को दो दिवसीय प्रशिक्षण निम्न विषयों पर आयोजित किया जायेगा-<br>1. किसानों का निबंधन<br>2. जैविक उत्पादन तथा Documentation की प्रक्रिया<br>3. वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।<br>4. बैठक, प्रशिक्षण रजिस्टर, Data प्रबंधन का रख-रखाव करना।<br>5. जैविक खेती के प्रमाणिकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर निर्माण में प्रशासनिक भूमिका एवं जिम्मेदारी। | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.2                                                             | जैविक प्रमाणन हेतु ICS Manager को तीन दिवस का प्रशिक्षण, 250 रु0 प्रति ICS Manager                                                | 0                     | 750          | 0          | 750      | कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ICS Manager को तीन दिवसीय प्रशिक्षण निम्न विषयों पर आयोजित किया जायेगा-<br>1. मिट्टी नमूना संग्रह तथा गुण नियंत्रण<br>2. जैव उत्पाद का Packaging, labeling, Branding तथा Marketing.<br>3. जैव कीटनाशी एवं जैव उर्वरक तैयार करने हेतु आवश्यक सामुदायिक आधारभूत संरचना।                                                                          | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.3                                                             | किसानों का ऑनलाइन निबंधन, 100 रु0 प्रति किसान                                                                                     | 0                     | 2500         | 2500       | 5000     | जैविक खेती के प्रमाणिकरण हेतु किसानों का पंजीकरण विवरण के साथ उपयोग किये गये फसल पद्धति, तथा उत्पादन, किसानों का जैविक खेती हेतु शपथ, प्रशिक्षण, बैठक एवं अन्य जानकारी प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक समूह के डाटा इंटी ऑपरेटर एवं सलाहकार डाटा को Tracenet पर ऑन-लाइन निबंधन करने हेतु जिम्मेवार होंगे।                                                                 | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.4                                                             | मिट्टी नमूना संग्रह एवं जॉच (14 नमूना प्रथम एवं द्वितीय वर्ष प्रति क्लस्टर तथा 12 नमूना तृतीय वर्ष प्रति क्लस्टर। (300 रु0/नमूना) | 4200                  | 4200         | 3600       | 12000    | ICS प्रबंधक मिट्टी जॉच नमूना के संग्रह हेतु जिम्मेवार होंगे। मिट्टी जॉच प्रयोगशाला/ICAR/राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रयोगशालाओं में जॉच किया जायेगा। मिट्टी जॉच नमूना के विश्लेषण के आधार पर जैविक खेती के पैकेट एवं प्रैक्टिस को अनुशसित किया जायेगा।                                                                                                                  | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.5                                                             | जैविक प्रमाणन हेतु खेतों के जैविक परिवर्तन के लिये किये गये उपायों का Documentation तैयार करने हेतु, 100 रु0 प्रति किसान          | 2500                  | 2500         | 2500       | 7500     | प्रत्येक समूह के डाटा इंटी ऑपरेटर एवं सलाहकार प्रत्येक किसान के जैविक खेती प्रमाणिकरण की प्रक्रिया एवं विवरण हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संधारित करेंगे।                                                                                                                                                                                                                    | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |

**जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 25 एकड़ (25 किसान) के कलस्टर के प्रोत्साहन हेतु देय अनुदान की विवरणी**

राशि- ₹0 में

| क्र.सं.                                                        | कार्य मद                                                                                       | Pattern of Assistance |              |            |           | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                           | कार्यान्वयन एजेंसी                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                | प्रथम वर्ष            | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | कुल राशि  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| कलस्टर के माध्यम से NPOP प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती का अंगीकरण |                                                                                                |                       |              |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 2.6                                                            | समूह के सदस्यों के खेतों का Internal Inspector द्वारा तीन बार निरीक्षण, 400 रु0 प्रति निरीक्षण | 30000                 | 30000        | 30000      | 90000     | प्रत्येक समूह के सदस्यों के खेतों के निरीक्षण की जिम्मेवारी Internal Inspector की होगी। Internal Inspector किसान के खेती की प्रक्रिया एवं विवरण संचारित करेंगे तथा किसानों को जैविक खेती करने हेतु विभिन्न कार्य-कलापों पर मार्गदर्शन भी करेंगे।                    | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.7                                                            | नमूने का Residue Analysis (8 नमूना प्रतिवर्ष प्रति कलस्टर/10000 प्रति नमूना)                   | 0                     | 80000        | 80000      | 160000    | ICS प्रबंधक जैविक नमूना संग्रह करेंगे एवं कीटनाशी तथा रसायन Residue की जाँच हेतु NABL प्रयोगशाला भेजेंगे।                                                                                                                                                           | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 2.8                                                            | प्रमाणीकरण हेतु प्रशासनिक व्यय                                                                 | 26150                 | 16900        | 16900      | 59950     | ICS प्रबंधक जैविक नमूना संग्रह करेंगे एवं कीटनाशी तथा रसायन Residue की जाँच हेतु NABL प्रयोगशाला भेजेंगे।                                                                                                                                                           | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| कुल योग                                                        |                                                                                                | 63250                 | 136850       | 135500     | 335600    | प्रमाणीकरण हेतु कार्यालय शुल्क, डाटा इन्पुट ऑपरेटर का मानदेय, कार्यालय का उपकरण आदि के लिए                                                                                                                                                                          | जि० कृ० पदा० के माध्यम से आई०सी०एस० को |
| 3 पैकेजिंग, लेबलिंग तथा ब्रांडिंग एवं अन्य के लिए              |                                                                                                |                       |              |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 3.1                                                            | पैकेजिंग सामग्री प्रमाणीकरण लोगों के साथ                                                       | 0                     | 62500        | 62500      | 125000    | जैविक उत्पाद हेतु पैकेजिंग मटेरियल क्रय करने लेबल तैयार करने, होलोग्राम प्रिंट करने तथा उसके ब्रांडिंग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। जैविक उत्पाद के ब्रांडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाले स्टैम्प में कलस्टर का नाम, जिला एवं यूनिक प्रोडक्ट पैकिंग रखा जा सकता है। | जि० कृ० पदा०                           |
| 3.2                                                            | जैविक उत्पादन का परिवहन हेतु @ 800 रु0 प्रति किसान प्रति वर्ष प्रति कलस्टर                     | 20000                 | 20000        | 20000      | 60000     | जैविक उत्पाद हेतु पैकेजिंग मटेरियल क्रय करने लेबल तैयार करने, होलोग्राम प्रिंट करने तथा उसके ब्रांडिंग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। जैविक उत्पाद के ब्रांडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाले Label में कलस्टर का नाम, जिला एवं यूनिक प्रोडक्ट पैकिंग रखा जा सकता है।   | जि० कृ० पदा०                           |
| कुल योग                                                        |                                                                                                | 20000                 | 82500        | 82500      | 185000    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 25 एकड़ के लिए मॉडल का कुल लागत                                |                                                                                                | 123250                | 219350       | 218000     | 560600    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 20000 एकड़ हेतु कुल 800 कलस्टर का लागत                         |                                                                                                | 98600000              | 175480000    | 174400000  | 448480000 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 का राज्य योजना के अधीन जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख रु० में

| जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण |                                |                                         |                |                                                                                                                                                                          |                |                          |                                 |                        |                                                    |                |                                                                        |                        |                                                          |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| क्रं                                 | जिला का नाम                    | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट |                | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा-किसानों /ICS manager का प्राशिक्षण, मिटटी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबंधन, Documentation/ Packaging/ Transportation आदि |                | जैविक खेती का प्रमाणीकरण | जिला कृषि पदाधिकारी को आकरिमकता | राज्य स्तर पर आकरिमकता | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन |                | जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु |                        | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन |                        |
|                                      |                                | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)                 | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)                                                                                                                                                  | वित्तीय लक्ष्य |                          |                                 |                        | वित्तीय लक्ष्य                                     | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                         | भौतिक लक्ष्य (सं० में) | वित्तीय लक्ष्य                                           | भौतिक लक्ष्य (सं० में) |
| 1                                    | 2                              | 3                                       | 4              | 5                                                                                                                                                                        | 6              | 7                        | 8                               | 9                      | 10                                                 | 11             | 12                                                                     | 13                     | 14                                                       | 15                     |
| 1                                    | कृषि निदेशक                    | 0                                       | 0.0000         | 0                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00                     | 0.00                            | 100.00                 | 3                                                  | 75.00          | 2                                                                      | 50.00                  | 1                                                        | 100.00                 |
| 2                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 3                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 49.300         | 0.00                     | 0.80                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 4                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 5                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 6                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 7                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 49.300         | 0.00                     | 0.80                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 8                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 9                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय  | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 10                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 11                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 49.300         | 0.00                     | 0.80                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 12                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर   | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 98.600         | 0.00                     | 1.60                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 13                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 49.300         | 0.00                     | 0.80                            | 0.00                   | 0                                                  | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| कुल                                  |                                | 20000                                   | 2300.0000      | 20000                                                                                                                                                                    | 986.00         | 0.00                     | 16.00                           | 100.00                 | 3                                                  | 75.00          | 2                                                                      | 50.00                  | 1                                                        | 100.00                 |

dh

Qila

## जैविक खेती प्रोत्साहन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 का राज्य योजना के अधीन अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख रु० में

| क्र. | जिला का नाम                    | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक) |                | राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति क्लस्टर 05 किसान 07 दिनों के लिए |                | राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राष्ट्र से बाहर पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य स्तर पर ई-कॉन्स के साथ वेबसाइट निर्माण/Startup support/Innovation के लिए | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                                | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                              | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                         | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                              | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                                 |                    |
| 1    | 2                              | 16                                                                                | 17             | 18                                                                                  | 19             | 20                                             | 21             | 22                                                | 23             | 24                                                  | 25             | 26                                                                             | 28                 |
| 1    | कृषि निदेशक                    | 12                                                                                | 221.76         | 4000                                                                                | 280.00         | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                         | 1505.2600          |
| 2    | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 3    | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 165.1000           |
| 4    | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 5    | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 6    | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 7    | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 165.1000           |
| 8    | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 9    | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय  | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 10   | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 11   | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 165.1000           |
| 12   | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 330.2000           |
| 13   | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 165.1000           |
| कुल  |                                | 12                                                                                | 221.76         | 4000                                                                                | 280.00         | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                         | 4807.26            |

वित्तीय वर्ष 2019-20 का राज्य योजना के तहत जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख ₹0 में।

| क्र० सं० | जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | सामान्य    | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल        |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 1        | 2                                                         | 3          | 4             | 5               | 6          |
| 1        | कृषि निदेशक                                               | 1249.36580 | 240.84160     | 15.05260        | 1505.26000 |
| 2        | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना                                 | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 3        | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर                                | 137.03300  | 26.41600      | 1.65100         | 165.10000  |
| 4        | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर                               | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 5        | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा                               | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 6        | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली                               | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 7        | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण                                 | 137.03300  | 26.41600      | 1.65100         | 165.10000  |
| 8        | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर                            | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 9        | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय                             | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 10       | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर                               | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 11       | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय                              | 137.03300  | 26.41600      | 1.65100         | 165.10000  |
| 12       | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर                              | 274.06600  | 52.83200      | 3.30200         | 330.20000  |
| 13       | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया                              | 137.03300  | 26.41600      | 1.65100         | 165.10000  |
| Total    |                                                           | 3990.02580 | 769.16160     | 48.07260        | 4807.26000 |

*[Signature]*

*[Signature]*

## जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 का राज्य योजना के अधीन जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख रु० में

| जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण |                                |                                         |                |                                                                                                                                                                          |                |                          |                                  |                         |                                                      |                |                                                                        |                        |                                                          |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| क्र                                  | जिला का नाम                    | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट |                | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा-किसानों /ICS manager का प्रशिक्षण, मिट्टी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबंधन, Documentation/ Packaging/ Transportation आदि |                | जैविक खेती का प्रमाणीकरण | जिला कृषि पदाधिकारी को आकस्मिकता | राज्य स्तर पर आकस्मिकता | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/ सेमिनार/ कार्यशाला का आयोजन |                | जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु |                        | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन |                        |
|                                      |                                | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)                 | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)                                                                                                                                                  | वित्तीय लक्ष्य |                          |                                  |                         | वित्तीय लक्ष्य                                       | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                         | भौतिक लक्ष्य (सं० में) | वित्तीय लक्ष्य                                           | भौतिक लक्ष्य (सं० में) |
| 1                                    | 2                              | 3                                       | 4              | 5                                                                                                                                                                        | 6              | 7                        | 8                                | 9                       | 10                                                   | 11             | 12                                                                     | 13                     | 14                                                       | 15                     |
| 1                                    | कृषि निदेशक                    | 0                                       | 0.0000         | 0                                                                                                                                                                        | 0.00           | 100.00                   | 0.00                             | 100.00                  | 3                                                    | 75.00          | 2                                                                      | 50.00                  | 1                                                        | 100.00                 |
| 2                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 3                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 87.740         | 0.00                     | 0.80                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 4                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 5                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 6                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 7                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 87.740         | 0.00                     | 0.80                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 8                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 9                                    | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय  | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 10                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 11                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 87.740         | 0.00                     | 0.80                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 12                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर   | 2000                                    | 230.0000       | 2000                                                                                                                                                                     | 175.480        | 0.00                     | 1.60                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| 13                                   | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                                                                                                                                                                     | 87.740         | 0.00                     | 0.80                             | 0.00                    | 0                                                    | 0.000          | 0                                                                      | 0.000                  | 0                                                        | 0.000                  |
| कुल                                  |                                | 20000                                   | 2300.0000      | 20000                                                                                                                                                                    | 1754.80        | 100.00                   | 16.00                            | 100.00                  | 3                                                    | 75.00          | 2                                                                      | 50.00                  | 1                                                        | 100.00                 |

d

Bh

## जैविक खेती प्रोत्साहन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 का राज्य योजना के अधीन अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख ₹0 में

| क्र | जिला का नाम                    | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक) |                | राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति कलस्टर 05 किसान 07 दिनों के लिए |                | राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राष्ट्र से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य स्तर पर ई-कॉन्स के साथ वेबसाइट निर्माण/Startup support/Innovation के लिए | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                             | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                         | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                              | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                                 |                    |
| 1   | 2                              | 16                                                                                | 17             | 18                                                                                 | 19             | 20                                             | 21             | 22                                                | 23             | 24                                                  | 25             | 26                                                                             | 28                 |
| 1   | कृषि निदेशक                    | 12                                                                                | 221.76         | 0                                                                                  | 0.00           | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                         | 1325.2600          |
| 2   | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 3   | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 203.5400           |
| 4   | जिला कृषि पदाधिकारी, मोहपुर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 5   | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 6   | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 7   | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 203.5400           |
| 8   | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 9   | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय  | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 10  | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 11  | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 203.5400           |
| 12  | जिला कृषि पदाधिकारी, मागलपुर   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 407.0800           |
| 13  | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                  | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                          | 203.5400           |
| कुल |                                | 12                                                                                | 221.76         | 0                                                                                  | 0.00           | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                         | 5396.06            |

जैविक खेती प्रोत्साहन योजानान्तर्गत वर्ष 2021-22 का राज्य योजना के अधीन जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

| सब्जी की जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण |                                |                                         |                |                         |                |                                                                                                                                                                           |                |                          |                                 |                        |                                                    |                        |                                                                        |                        |                                                          |                        |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| क्र                                           | जिला का नाम                    | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट |                |                         |                | जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा- किसानों/ICSM manager का प्रशिक्षण, मिट्टी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबंधन, Documentation/ Packaging/ Transportation आदि |                | जैविक खेती का प्रमाणीकरण | जिला कृषि पदाधिकारी को आकरिमकता | राज्य स्तर पर आकरिमकता | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन |                        | जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु |                        | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन |                        |                |
|                                               |                                | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)                 | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (एकड़ में) | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                                                                                                                            | वित्तीय लक्ष्य |                          |                                 |                        | वित्तीय लक्ष्य                                     | भौतिक लक्ष्य (सं० में) | वित्तीय लक्ष्य                                                         | भौतिक लक्ष्य (सं० में) | वित्तीय लक्ष्य                                           | भौतिक लक्ष्य (सं० में) | वित्तीय लक्ष्य |
|                                               |                                | 3                                       | 4              | 5                       | 6              | 7                                                                                                                                                                         | 8              |                          |                                 |                        | 9                                                  | 10                     | 11                                                                     | 12                     | 13                                                       | 14                     | 15             |
| 1                                             | कृषि विदेशक                    | 0                                       | 0.0000         | 0                       | 0.00           | 100.00                                                                                                                                                                    | 0.00           | 100.00                   | 3                               | 75.00                  | 2                                                  | 50.00                  | 1                                                                      | 100.00                 |                                                          |                        |                |
| 2                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 3                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 1000                                    | 115.0000       | 1000                    | 87.200         | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.80           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 4                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 5                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 6                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 7                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 1000                                    | 115.0000       | 1000                    | 87.200         | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.80           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 8                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 9                                             | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय  | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 10                                            | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 11                                            | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                    | 87.200         | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.80           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 12                                            | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर   | 2000                                    | 230.0000       | 2000                    | 174.400        | 0.00                                                                                                                                                                      | 1.60           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| 13                                            | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 1000                                    | 115.0000       | 1000                    | 87.200         | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.80           | 0.00                     | 0                               | 0.000                  | 0                                                  | 0.000                  | 0                                                                      | 0.000                  |                                                          |                        |                |
| कुल                                           |                                | 20000                                   | 2300.0000      | 20000                   | 1744.00        | 100.00                                                                                                                                                                    | 16.00          | 100.00                   | 3                               | 75.00                  | 2                                                  | 50.00                  | 1                                                                      | 100.00                 |                                                          |                        |                |

## जैविक खेती प्रोत्साहन य जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 का राज्य योजना के अधीन अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई-लाख रु० में

| क्र | जिला का नाम                    | बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक) |                | राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति क्लस्टर 05 किसान 07 दिनों के लिए |                | राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राष्ट्र से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण |                | राज्य स्तर पर ई-कॉमर्स के साथ वेबसाइट निर्माण/Startup support/Innovation के लिए | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                                                              | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                         | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                            | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य (सं० में)                              | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य                                                                  |                    |
| 1   | 2                              | 16                                                                                | 17             | 18                                                                                  | 19             | 20                                             | 21             | 22                                                | 23             | 24                                                  | 25             | 26                                                                              | 28                 |
| 1   | कृषि निदेशक                    | 12                                                                                | 221.76         | 0                                                                                   | 0.00           | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                          | 1325.2600          |
| 2   | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 3   | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर     | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 203.0000           |
| 4   | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 5   | जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 6   | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 7   | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण      | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 203.0000           |
| 8   | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 9   | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय  | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 10  | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर    | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 11  | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 203.0000           |
| 12  | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 406.0000           |
| 13  | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया   | 0                                                                                 | 0.000          | 0                                                                                   | 0.000          | 0                                              | 0.000          | 0                                                 | 0.000          | 0                                                   | 0.000          | 0.000                                                                           | 203.0000           |
| कुल |                                | 12                                                                                | 221.76         | 0                                                                                   | 0.00           | 50                                             | 250.00         | 10                                                | 3.50           | 5                                                   | 25.00          | 400.00                                                                          | 5385.26            |